अपीलीय अधिकरण कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 39/2023 (वरिष्ठ नागरिक अपील)

1. श्रीमती मन्जू शर्मा पत्नी श्री गणेश नारायण शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी प्लाट नम्बर 15 ए, उपकार नगर द्वितीय, चरण नदी, बेनाड रोड, जयपुर।
2. गणेशनारायण पुत्र श्री भंवर लाल शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी प्लाट नम्बर 15 ए, उपकार नगर द्वितीय, चरण नदी, बेनाड रोड, जयपुर।

अपीलार्थीगण

बनाम

1. हर्षवर्धन पुत्र श्री गणेश नारायण शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी मकान नम्बर 4246 प्रभुख हृदय काम्पलेक्स भिण्डों का रास्ता, चांदपोल बाजार, जयपुर कार्यालय स्थल का पता राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर बैंच जयपुर।
2. श्रीमती विजय लक्ष्मी पत्नी श्री हर्षवर्धन शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी मकान नम्बर 4246 प्रमुख हृदय काम्पलेक्स, भिण्डों का रास्ता,चांदपोल बाजार, जयपुर कार्यालय स्थल का पता राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर बैंच जयपुर।

प्रत्यर्थीगण

3. कीर्तिवर्धन पुत्र श्री गणेश नारायण

प्रफोर्मा / प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 16 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम–2007 विरूद्व आदेश दिनांक30.06.2023 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिकरण एवं उपखण्ड अधिकारी आमेर प्रकरण संख्या 17/2022 ब उनवानी मन्जू शर्मा बनाम हर्षवर्धन

उपस्थितः–

1. अपीलान्ट संख्या एक उपस्थित है।
2. प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के प्रतिनिधि उपस्थित है।

आदेश **दिनांक 12.02.2024**

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है किं अपीलार्थी ने माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिकरण एवं उपखण्ड अधिकारी आमेर के प्रकरण संख्या 17/2022 ब उनवानी मन्जू शर्मा बनाम हर्षवर्धन में पारित आदेश दिनांक 30.06.2023 के विरूद्व यह अपील प्रस्तुत की गई है।

जिला मजिस्ट्रेट
लक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अधीनस्थ अधिकरण से मिसल मातहत तलब की गई। प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 की ओर से प्रतिनिधि श्री हिमांशु सोगानी उपस्थित है। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई ।

3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4. अपीलार्थी ने दौराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष अपीलार्थीगण द्वारा उक्त उनवानी वाद मंजू शर्मा बनाम हर्षवर्द्धन व अन्य बाबत स्थाई निषेधाज्ञा मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया कि " प्रार्थीगण बुजुर्ग दम्पत्ति है तथा सीनियर सिटीजन है। इस कारण वरिष्ट नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 व राजस्थान अभिभावकों व वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण नियम 2010 से शासित है। प्रार्थीगण सीधे साधे इंसान है तथा सादा जीवन उच्च विचार के आधार पर जीवन यापन कर रहे तथा धार्मिक प्रवृति के है एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 अपीलार्थीगण का पुत्र है तथा प्रत्यर्थी संख्या 2 अपीलार्थीगण की पुत्रवधु है जो कि अपीलार्थीगण के कहने में नहीं है तथा अक्सर अपीलार्थीगण के साथ मारपीट गाली गलोच व अभद्र व्यवहार करते रहते है। प्रत्यर्थी संख्या 1 हर्षवर्धन जो कि राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ में कर्मचारी के तौर पर सरकारी सेवा में तथा आये दिन अपनी पहुँच बता कर अपीलार्थी को धमकाता रहता है । अपीलार्थीगण के विवाह के पश्चात से ही उनका व्यवहार अपीलार्थी के साथ अमानवीय होने लगा। प्रत्यर्थी संख्या 1 एवं 2, अपीलार्थीगण जो कि बुजुर्ग तथा वृद्ध नागरिक है तथा सीनियर सिटीजन की केटेगरी में आते है के साथ अमानवीय व्यवहार करने लगे है। प्रत्यर्थीगण द्वारा अपीलार्थीगण को कहा जाता था कि वह अपना उक्त मकान संख्या 15 ए उपकार नगर द्वितीय, घरण नदी, बेनाड रोड, जयपुर राजस्थान प्रत्यर्थीगण के नाम करे। प्रत्यर्थीगण द्वारा अपीलार्थीगण के उक्त वर्णित मकान के एक कमरे पर जबरन अपना ताला लगा रखा है तथा अपीलार्थीगण के उक्त वर्णित सम्पूर्ण मकान पर अपना कब्जा करने की फिराक में है तथा अपीलार्थीगण को जबरन उनके स्वामित्व के उक्त वर्णित मकान से बाहर करने पर आमदा है जबकि प्रत्यर्थीगण को ऐसा कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है । अपीलार्थी संख्या 1 ने उक्त मकान को अपनी स्वयं अर्जित आय से क्रय किया था तथा प्रत्यर्थीगण को यह सोच कर उक्त मकान में निवास करने की ईजाजत दी थी कि वे अपीलार्थीगण की सेवा करेंगे तथा उनके सुख दुख में उनका ध्यान रखेंगे, लेकिन प्रत्यर्थीगण की नियत मे फितूर आ गया है तथा प्रत्यर्थीगण आपस में एक राय होकर आये दिन अपीलार्थीगण को छोटी छोडी बातों पर हैरान व परेशान एवं प्रताड़ित करते रहते है । गाली गलौच, अभ्रद एवं अपमानजनक व्यवहार, सम्मन न करना कोई बात नहीं मानना, अकरण ही अपीलार्थीगण पर गुस्सा हो जाना आदि उनकी आदतों में शामिल है। प्रत्यर्थीगण द्वारा अपीलार्थीगण को प्रताड़ित एवं लज्जित करते हुये यह कहा जाता था कि तुम लोगों की दिमागी हालत खराब हो गई है। अब तुम लोग इस बुढाने में उक्त सम्पत्ति का क्या करोंगे ? बेहतर होगा कि इस सम्पूर्ण को हमारे नाम कर दो । यह सब देख कर एवं सुन कर अपीलार्थीगण को अत्यधिक मानसिक पीडा पहुंचती है प्रत्यर्थी संख्या 1 मंन्जू शर्मा ह्रदय रोग, स्वास रोग एवं अन्य कई बीमारियों से पीडित चल रही है तथा अपीलार्थी संख्या 1 के उठने बैठने एवं दैनिक कार्य करने में भी काफी परेशानियॉं हो रही हैं । प्रत्यर्थी संख्या 2 श्रीमती विजय लक्ष्मी अपीलार्थीगण एवं उसके छोटे पुत्र कीर्तिवर्धन को दहेज के झूंठे मुकदमें मे व महिलाओं से सबंधित झूंठे अपराध में फंसाने की धमकी देती है जिसके कारण अपीलार्थीगण एवं उसका छोटा

जिला मजिस्ट्रेट
(...ग्रामर) जयपु

Scanned with OKEN Scanner

पुत्र मानसिक अवसाद मे आ गये है । प्रत्यर्थी संख्या 2 श्रीमती विजय लक्ष्मी जो कि प्रत्यर्थी संख्या 1 की पत्नी है ने अपने पति अर्थात प्रतयर्थी संख्या 1 से मिलीभगत करते हुये तथा अपीलार्थीगण को अकारण ही हैरान व पेरेशान एवं प्रताड़ित करने के मकसद से प्रत्यर्थीगण के विरूद्व, मुकदमें करने पर आमदा है । अपीलार्थीगण का छोटा पुत्र कीर्तिवर्धन जो अभी अविवाहित है जो अपीलार्थीगण के साथ ही रहता है तथा अभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है और आर जे एस परीक्षा की तैयारी भी कर रहा है। इस पर भी प्रत्यर्थीगण झूंठे आरोप लगा कर लड़ाई झगड़ा करते है । प्रत्यर्थी संख्या 2 अपीलार्थीगण के छोटे बेटे पर झूंठे रेप का आरोप लगा कर झूंठे मुकदमें में फंसाने की धमकी देती है जिससे प्रार्थीगण का पुत्र कीर्तिवधर्न अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी भी सही ढंग से नहीं कर पा रहा है और मानसिक रूप से डिस्टर्ब रहने लग गया है। समय समय पर आये दिन प्रत्यथीगण द्वारा अपीलार्थीगण को हैरान व परेशान किये जाने का सिलसिला जारी रहा तथा प्रत्यर्थीगण द्वारा बुजुर्ग माता पिता को घर से बाहर निकालने का बार बार प्रयास किया जाता रहा है। दिनांक 28.08.2020 को प्रतयर्थी संख्या 2 श्रीमती विजय लक्ष्मी व उसके पीहर पक्ष के लोग जिनमें पिता श्री ओम प्रकाश माता श्रीमती विमला एवं बहिन मोना एवं खुशबू ने एक राय होकर अपीलार्थीगण के निवास पा आये तथा अकारण ही झगड़ा करने लगे व मारपीट की गई तथा प्रत्यर्थी विजय लक्ष्मी ने प्रार्थिया मन्जू शर्मा को धक्का देकर नीचे गिरा दिया। प्रार्थीगण द्वारा समझाने पर वह और अधिक उग्र हो गये तथा कहने लगे कि 7 दिन में मकान खाली करके कहीं वृद्वाश्रम में चले जाओं वरना हम लोग तुम्हे धक्के माकर कर बाहर निकाल देगें । झगडा बढने पर पडौसियों ने माहोल शान्त कराया अन्यथा गम्भीर वारदात का अन्देशा था । इसके पश्चात दिनांक 12.12.2022 को भी उक्त प्रत्यर्थीगण द्वारा अपीलार्थीगण के निवास पर आकर झगड़ा किया तथा घर से निकालने व एवं घर पर कब्जा करने की धमकी दी गई है। अपीलार्थीगण ने एक इस्तगासा प्रत्यथी के विरूद्व धारा 107, 116 सी आर पी सी का न्यायायय कार्यपालक मजिस्ट्रेब्ट एवं अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (पश्चिमग) के समक्ष पेश किया जिसमें अपीलार्थी ने अपने साथ हो रहे अत्याचारों का पूरा विवरण अपने उक्त इस्तगासा में वर्णित किया था तथा प्रत्यर्थीगण को पाबन्द करने का निवेदन किया था। अपीलार्थीगण द्वारा माता पिता होने का फर्ज बाकायदा निभाया गया लेकिन जब उन्हें सहारे की जरूरत पड़ी तब तक प्रत्यर्थी द्वारा उनसें मुँह मोड कर उन्हें यातनायें दी जाने लगी तथा घर से बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है जिससे स्पष्ट है कि प्रत्यर्थीगण द्वारा पुत्र होने का कर्तव्य कदापि नहीं निभा रहा है । अपीलार्थी संख्या 1 राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर बैंच जयपुर में सरकारी कर्मचारी है जहां से उसे मासिक करीब 75000/–रूपये वेतन स्वरूप प्राप्त होता है तथा प्रत्यर्थी संख्या 2 श्रीमती विजय लक्ष्मी भी व्यवसायिक कार्य करती है जिससे वह मासिक करीब 15000/–रूपये कमा लेती है। इस प्रकार दोनों पति पत्नी लगभग 92,000/–रूपया कमा लेते है। अपीलार्थीगण की आय का कोई साधन नहीं है तथा अपीलार्थीगण को अपने भरण पोषण हेतु एवं वृद्वावस्था में चल रही बीमारियो के ईलाज हेतु व अन्य दैनिक जरूरतों की पूर्ति हेतु प्रति माह लगभग 30,000/–रूपये की जरूरत होती है। जिससे आधी राशि प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 से दिलवाया जाना न्यायोचित है। अपीलार्थीगण का निवास स्थान प्लाट नम्बर 15 ए, उपकार नगर द्वितीय, चरण नदी, बैनाड रोड जयपुर पुलिस थाना मुरलीपुरा जयपुर के क्षेत्राधिकार मे आता है तथा उक्त थाना माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित है। इसलिए माननीय अधिकरण को उक्त परिवाद को सुनने एवं निर्णित करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। अपीलार्थीगण सीनियर सिटीजन व

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

वृद्धावस्था में है तथा प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 अपीलार्थीगण के पुत्र व पुत्रवधू है जिनके द्वारा अपीलार्थीगण को उनके आवास से वंचित कर रखा गया है तथा यातनायें देते हुये अपीलार्थीगण को जीवन हानि पहुंचाना चाहते है तथा अपीलार्थीगण को कानूनन प्राप्त होने वाले भरण पोषण से भी वंचित कर रखा है। अतः प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 को पाबन्द किया जाये कि वह अपीलार्थीगण को उसके उक्त वर्णित आवास प्लाट संख्या 15 ए उपकार नगर द्वितीय, बरण नदी, बेनाड रोड, जयपुर राजस्थान पर शान्ति पूर्वक निवास करने दे तथा उक्त वर्णित मकान से अपीलार्थीगण को बेदखल नहीं करे, अवैध एवं नाजायज कब्जा नहीं करे । क्योंकि उक्त वर्णित मकान अपीलार्थीगण के स्वामित्व की सम्पत्ति है। उक्त प्रकरण में अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थीगण को प्रार्थना पत्र पर सुना जाकर दिनांक 30.06.2023 को अधीनस्थ अधिकरण ने अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र को आंशिक रूप से स्वीकार कर अन्य अनुतोष खारिज कर दी गई। अधीनस्थ अधिकरण के अपीलाधीन आदेश में अधिकरण ने यह तो मान लिया कि उक्त सम्पत्ति अपीलार्थीगण ने अपनी स्व अर्जित आय से बैंक लोन लेकर खरीद किया है एवं लगातार उक्त मकान की किश्त स्वयं चुका रहे है, ऐसी स्थिति में प्रत्यर्थीगण को 1 कमरा उनके स्वयं का सामान रख रखाव हेतु सौपना उचित आदेश नहीं है जबकि प्रत्यर्थीगण 1 व 2 स्वयं अपनी आय उपार्जित करते है एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 सरकारी नौकरी करता है एवं अपने लिये उपयुक्त परिसर लेने एवं अपने सामान को किसी अन्य स्थान पर रखने में पूर्ण रूप से समर्थ है। प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 सितम्बर 2021 से अपने स्वयं के परिसर में निवास कर रहे है इसलिए प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के पास उपयुक्त परिसर उपलब्ध है, तो केवल मात्र उनका सामान रखने हेतु न्यायालय के द्वारा एक कमरा दिया जाना विधि के सिद्धान्तों के विपरीत है। अधीनस्थ अधिकरण के द्वारा जो आदेश पारित किया गया वह अपास्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ अधिकरण के द्वारा आदेश में स्पष्ट नहीं किया कि अपीलार्थी संख्या 2 सरकारी कर्मचारी था एवं उसकी पेंशन आ रही है लेकिन उस पेंशन में से ही अपीलार्थीगण के द्वारा घर की किश्त एवं दवाईयों का सम्पूर्ण खर्चा चुकाया जाता है। इसके विपरीत प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 पूर्ण रूप से अपीलार्थीगण को भरण पोषण देने में सक्षम है। इसलिए अधीनस्थ अधिकरण का आलौच्य आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जा कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.06.2023 को अपास्त किया जाकर प्रत्यर्थीगण को पाबन्द किया जावे कि वह अपीलार्थीगण को उक्त वर्णित मकान पर शान्ति पूर्वक निवास करने देवे तथा उक्त वर्णित मकान से अपीलार्थीगण को बेदखल नहीं करे, प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 को आदेश दिय जावे कि वह मासिक 30,000/–रूपये प्रति माह अपीलार्थीगण के भरण पोषण, ईलाज व अन्य दैनिक खर्चो की पूर्ति के लिये अदा करे। प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 को आदेश दिया जावे कि वह अपीलार्थीगण के उक्त मकान को खाली कर कहीं अन्यत्र जाकर निवास करें।

प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के प्रतिनिधि ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि अपीलार्थी संख्या 2 श्री गणेश नारायण शर्मा भारत सरकार से सेवा निवृत्त कर्मचारी है, जिसे पेन्शन मिलती है जो भरण पोषण के लिए पर्याप्त है तथा बीमारी की अवस्था में ईलाज भी निः शुल्क होता है। अतः प्रत्यर्थीगण से भरण पोषण राशि दिलाया जाना न्यायोचित नहीं है। प्रत्यर्थीगण, अपीलार्थीगण का यदैव मान सम्मान करते है कभी दुर्व्यवहार नहीं किया। उक्त मकान प्रत्यर्थी संख्या एक की माताजी अपीलार्थी संख्या एक के नाम है। प्रत्यथी अन्यत्र निवास करते है, उक्त मकान के एक कमरे में प्रत्यर्थीगण का सामान रखा है । कभी कभी माता पिता की देख रेख व

जिला मजिस्ट्रेट
कलक्टर) जयपु

सेवा सुश्रषा के लिए आते–जाते रहते है। अधीनस्थ अधिकरण द्वारा पारित आदेश उचित है। अतः अपील खारिज की जावे।

6. उभय पक्ष की ओर से की गई बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं मिसल मातहत का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया ।

7. अपीलार्थीगण ने यह अपील प्रस्तुत कर दो अनुतोष चाहे है। प्रथम, अपीलार्थीगण ने 30,000/–रूपया प्रति माह भरण पोषण, ईलाज व दवाईयों आदि के दिलवाये जाने का अनुतोष चाहा है। अपीलार्थी संख्या 2 श्री गणेश नारायण पुत्र भंवर लाल शर्मा गृह मंत्रालय भारत सरकार सेन्सस डायरेक्ट्रेड जयपुर से सेवा निवृत्त कार्मिक है जो पेन्शनधारी है, जिसे ईलाज व दवाई की सुविधा प्राप्त है। इसलिए भरण पोषण राशि दिलाये जाने का अनुतोष स्वीकार योग्य नहीं है। द्वितीय, मकान नम्बर 15 ए उपकार नगर द्वितीय, चरण नदी, बेनाड रोड, जयपुर से प्रत्यर्थीगण को बेदखल करने का अनुतोष चाहा है। अधिनियम में वरिष्ठ नागरिक की सम्पत्ति की सुरक्षा किये जाने का भी प्रावधान है। अधिनियम की धारा 23 यह उपबन्ध करती है कि जहां किसी वरिष्ठ नागरिक ने इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात दान द्वारा या अन्यथा अपनी सम्पत्ति का अन्तरण इस शर्त के अधीन किया है कि अन्तरिती अन्तरक को मूलभूत सुविधाओं और मूलभूत शारीरिक आवश्यकताओं को पूर्ण करेगा और ऐसा अन्तरिती ऐसी सुविधाओं और शारीरिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने से इन्कार करता है या असफल रहता है, वहां सम्पत्ति इस प्रकार उक्त अन्तरण कपट या प्रपीड़न द्वारा या असम्यक् असर के अधीन किया गया माना जाएगा और अन्तरक की वांछा पर अधिकरण द्वारा शून्य घोषित किया जावेगा। धारा 23 में दान द्वारा या अन्यथा (Otherwise) सम्पत्ति का अन्तरण किया जाना शामिल है। जिसमें लिखित व मौखिक अन्तरण भी हो सकता है। इस सम्बध में समय–समय पर माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी माता–पिता व वरिष्ठ नागरिक के पक्ष में निर्णय पारित किये गये है। इसलिए अपीलार्थीगण का यह अनुतोष स्वीकार किया जाना उचित पाते है। फलस्वरूप अपील आंशिक स्वीकार की जाती है।

अपीलार्थी संख्या 1 के स्वामित्व की सम्पत्ति मकान संख्या 15 ए, उनकार नगर द्वितीय, चरण नदी, बेनाड रोड जयपुर से प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 को बेदखल किये जाने का आदेश दिया जाता है। अपीलार्थीगण के उक्त मकान में रहने में प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें। अपीलार्थीगण के साथ सद्व्यवहार करने व किसी प्रकार से गाली गलौच नहीं करने हेतु प्रत्यर्थीगण 1 व 2 को पाबन्द किया जाता है।

आदेश की प्रति हस्ब कायदा धारा 16(7) के तहत उभय पक्षकारान को निः शुल्क भेजी जावे। आदेश की प्रति मय मिसल मातहत माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण एवं कल्याण अधिकरण उपखण्ड अधिकारी आमेर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

9. निर्णय आज दिनांक **12.02.2024** को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner